



न्यायालय सहायक कलेक्टर (सिरोही) आबूरोड
 राजस्थान RAJASTHAN फाइनल डिक्री 1. आधारभूत आवस्यता सुविधाओं हेतु धारा 10/- रुपये 10/- CB 410509

बादीगण श्री शैतानसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी आमथला, तहसील देलदर	2. गाय और नरस के संरक्षण और संवर्धन हेतु धारा (3-ए) प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु 20% स्वयं वेण्डर के हस्ताक्षर	प्रतिवादीगण श्री अमन शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी आवल व अन्य
		13

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 31/2025
 दिनांक:- 20/11/25

इस न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.11.2025 की पालना में तहसीलदार आबूरोड से जरिये क्रमांक/राजस्व/ बंटवारा/2025/479 दिनांक 18.11.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2025 द्वारा स्वीकार किया जाने से मौजा आवल पटवार हल्का आवल तहसील आबूरोड की कृषि आराजी खसरा नम्बर 41, 44 एवं 45 कुल किता-तीन कुल रकबा 2.6301 हैक्टेयर का विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किये जाने की अंतिम डिक्री जारी की जाती है।



[Signature]
 सहायक कलेक्टर
 आबूरोड (सिरोही)

क्र. स.	नाम प्रस्तावित खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
01	शैतानसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह राजपूत हिस्सा पूर्ण	41/1	0.2530	ब 1	
		कीता 1	0.2530	-	
02	1. अमन शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद हिस्सा 627/23771	41	0.3413	ब 1	
		44	0.0126	गै. मु.	
	2. अर्चना शर्मा पत्नि राजेन्द्र प्रसाद हिस्सा 627/23771	45	2.0232	ब 1	
		किता-03	2.3771		
	3. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल हिस्सा 3288/23771				
	4. कमलेश कुमार पुत्र धरमाराम हिस्सा 613/23771				
	5. गीता पुत्री धरमाराम हिस्सा 613/23771				
	6. जगदीश पुत्र बंशीलाल हिस्सा 3288/23771				
	7. भावीन शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद हिस्सा 627/23771				
	8. मनोहरलाल पुत्र धरमाराम हिस्सा 1878/23771				
	9. रजनी पुत्री धरमाराम हिस्सा 1878/23771				
	10. लक्ष्मीदेवी पत्नि बंशीलाल हिस्सा 3288/23771				
	11. विमला पुत्री धरमाराम हिस्सा 1878/23771				
12. शांतिलाल पुत्री धरमाराम हिस्सा 1878/23771					
13. संजय पुत्र बंशीलाल हिस्सा 3288/23771					

शांति

C.A.

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिराही)

तहसीलदार आबूरोड को उपरोक्तानुसार उनके प्रस्ताव दिनांक 18.11.2025 के साथ संलग्न बटवारा प्रस्ताव के नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश दिये जाते हैं राजस्व अधिकारी मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करेंगे। अंतिम डिकी स्टाम्प पर आज दिनांक 20/11/2025 को जारी की जाती है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार मूल नजरी नक्शा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार आबूरोड को पालनार्थ प्रेषित है।



सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिराही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिराही)